



दिनांक 24.01.2026

प्रेस विज्ञप्ति 53 / 2026

## मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

### यक्ष एप के सफल क्रियान्वयन हेतु पुलिस मुख्यालय में तीन दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन

- बीट प्रणाली पुलिसिंग की मूल इकाई है, पर सूचना के अभाव से अपराध नियंत्रण में कठिनाई आती रही।
- एकीकृत व एआई आधारित ऐप से अपराधी संबंधी सूचना स्वतः सभी संबंधित बीटों तक तुरंत पहुँचेगी।
- इससे समय की बचत होगी तथा निगरानी, सत्यापन व अभियानों की प्रभावशीलता बढ़ेगी।
- यह ऐप उत्तर प्रदेश पुलिस को आधुनिक एवं नई पीढ़ी की पुलिसिंग की ओर ले जाएगा।

(पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0)

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, की अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध "जीरो टॉलरेंस" की नीति के क्रम में पुलिस व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली बीट पुलिसिंग को अधिक सुदृढ़, प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विकसित किये गये यक्ष एप के सफल क्रियान्वयन हेतु पुलिस मुख्यालय में दिनांक: 24.01.2026 से 27.01.2026 तक आयोजित तीन दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा शुभारम्भ किया गया।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने अपने संबोधन में कहा कि थाना व्यवस्था स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित है, परन्तु प्रभावी पुलिसिंग के लिए बीट प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई रही है, जो पिछले 100–125 वर्षों से पुलिस की मूल संरचना का आधार रही है। बीट कांस्टेबल की भूमिका ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

समय के साथ बीट क्षेत्रों का आकार एवं संख्या मैनपावर की उपलब्धता के अनुसार बदलती रही है, जिससे अपराधियों की सही जानकारी संकलन एवं अद्यतन में कठिनाइयाँ आती थीं। 'फर्द क' एवं 'फर्द ख' जैसी व्यवस्थाएँ होते हुए भी व्यावहारिक रूप से सूचनाओं का आदान–प्रदान प्रभावी नहीं हो पाता था। परिणामस्वरूप अपराधियों की गतिविधियों, उनके निवास स्थान एवं आपराधिक इतिहास की समुचित जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती थी।

अभियानों के दौरान भी सूचना के अभाव में कार्यवाही अपेक्षाकृत कम प्रभावी रहती थी। इस समस्या के समाधान हेतु पूर्व में 'त्रिनेत्र', 'बीट प्रहरी', 'ऑपरेशन पहचान' जैसे विभिन्न ऐप्स विकसित किए गए, जिनसे आंशिक सुधार हुआ।

इन सभी अनुभवों को समाहित करते हुए बीट कर्मियों, हल्का एवं थाना प्रभारियों की सुविधा के लिए एक एकीकृत ऐप विकसित किया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी समावेश किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से किसी अपराध की प्रविष्टि होते ही संबंधित सभी बीटों एवं थाना क्षेत्रों को अपराधी की सूचना स्वतः एवं तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। इससे समय की बचत होगी तथा अपराधियों की निगरानी और सत्यापन अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा।

उन्होंने विशेष रूप से कंप्यूटर ऑपरेटरों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रारंभिक "मास्टर फाइल्स" में बीट क्षेत्र, गाँव, मोहल्ला एवं अन्य मूल सूचनाओं की सही प्रविष्टि अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रारंभिक डाटा शुद्ध होगा तो आगे का विश्लेषण एवं कार्यवाही सटीक होगी, अन्यथा त्रुटियाँ लंबे समय तक बनी रहेंगी।

**पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा** अपने संबोधन के अंत में विश्वास व्यक्त किया कि यह ऐप उत्तर प्रदेश पुलिस को आधुनिक एवं नई पीढ़ी की पुलिसिंग की ओर ले जाएगा तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से इसे गंभीरता से समझकर प्रभावी रूप से लागू करने का आवान किया।

इस अवसर पर **श्री अमिताभ यश**, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, **श्री एस0के0 भगत**, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, **श्री शलभ माथुर**, पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक / पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, यक्ष ऐप निर्माण में सहयोग प्रदान करने वाली कम्पनी के अधिकारी एवं प्रशिक्षण हेतु आये अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

## यक्ष ऐप की मुख्य विशेषताएं

- प्रदेश की सभी बीटों की **Geo-Fencing** एवं फ्रीजिंग कर प्रत्येक बीट की स्पष्ट जिम्मेदारी तय की गई है।
- पारंपरिक बीट बुक को **डिजिटल बीट बुक** में परिवर्तित कर रियल टाइम अपडेट एवं सुरक्षित डेटा संरक्षित किया गया है।
- AI एवं **Big Data** आधारित अपराधी प्रोफाइलिंग से अपराधियों की गतिविधियों पर सटीक और सतत निगरानी संभव हुई है।
- अपराध की संवेदनशीलता, समय, Modus Operandi एवं प्रयुक्त शस्त्र के आधार पर Criminal Scoring System विकसित किया गया है।
- Face, Voice, Text** एवं **Vehicle Search** जैसी AI आधारित सुविधाओं से अज्ञात अपराधों के अनावरण में सहायता मिल रही है।
- Advance Gang Analysis** एवं **CrimeGPT** के माध्यम से अपराध पैटर्न और गैंग नेटवर्क का विश्लेषण किया जा रहा है।
- बीट स्तर पर **Local Intelligence** एवं **Beat Information System** के माध्यम से अपराध—पूर्व सूचनाएँ और संवेदनशील गतिविधियाँ दर्ज की जा रही हैं।







दिनांक 24.01.2026

प्रेस विज्ञप्ति 54 / 2026

## मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

### जनपद फतेहगढ़/थाना कमालगंज

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
  - 01 अवैध तमचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 24.01.2026 को थाना कमालगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त राजकिशोर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कमालगंज पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध चोरी, हत्या का प्रयास, आर्स एकट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजकिशोर निवासी बलीपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

### बरामदगी

1—01 अवैध तमचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

~2~  
जनपद मज /थाना कोपागंज

- लूट की घटना का अनावरण
- 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूटी गयी पीली-सफेद धातु के आभूषण
- लूट के 15 हजार रुपये नगद
- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल
- 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक: 24.01.2026 को थाना कोपागंज, थाना कोतवाली नगर व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1—सुजीत 2—अश्वनी उर्फ मोहन 3—राहुल 4—अमरेश 5—अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी पीली-सफेद धातु के आभूषण, लूट के 15 हजार रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोपागंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रुपये आदि लूट की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सुजीत निवासी सरया थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मज।
- 2—अश्वनी उर्फ मोहन निवासी तिलई खुर्द थाना घोसी जनपद मज।
- 3—राहुल निवासी मीरपुर रहीमाबाद कटार थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मज।
- 4—अमरेश निवासी कोडरियापार थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मज।
- 5—अभियुक्ता।

## बरामदगी

- 1—लूटी गयी पीली—सफेद धातु के आभूषण।
- 2—लूट के 15 हजार रुपये नगद।
- 3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।
- 4—02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

## जनपद कासगंज/थाना सहावर

- 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की घटनाओं का अनावरण
- लगभग 10 लाख रुपये कीमत की पीली—सफेद धातु के आभूषण
- 48 हजार रुपये नगद
- 05 मोबाइल फोन
- घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल
- 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 24.01.2026 को थाना सहावर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 05 अभियुक्तों 1—बदल शेर 2—दल शेर 3—धर्मपाल 4—मोरध्वज उर्फ मोहर सिंह 5—सचिन को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रुपये कीमत की पीली—सफेद धातु के आभूषण, 48 हजार रुपये नगद, 05 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सहावर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सहावर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सहावर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही छें।

## गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—बदल शेर निवासी गांव नना खेड़ा थाना उज्ज्ञानी जनपद बदायूं।
- 2—दल शेर निवासी गांव नना खेड़ा थाना उज्ज्ञानी जनपद बदायूं।
- 3—धर्मपाल निवासी गांव नना खेड़ा थाना उज्ज्ञानी जनपद बदायूं।
- 4—मोरध्वज उर्फ मोहर सिंह निवासी गांव नना खेड़ा थाना उज्ज्ञानी जनपद बदायूं।
- 5—सचिन निवासी गांव नना खेड़ा थाना उज्ज्ञानी जनपद बदायूं।

## बरामदगी

- 1—लगभग 10 लाख रुपये कीमत की चोरी की पीली—सफेद धातु के आभूषण।
- 2—48 हजार रुपये नगद।
- 3—05 मोबाइल फोन।
- 4—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।
- 5—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

## जनपद हाथरस/थाना सादाबाद

- 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 08 दो पहिया वाहन
- 02 मोबाइल फोन बरामद

दिनांक: 23.01.2026 को थाना सादाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 05 अभियुक्तों 1—देवा 2—अरुण उर्फ काका 3—धर्मेन्द्र 4—अशोक 5—रणजीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 दो पहिया वाहन, 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सादाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—देवा निवासी नगला छती थाना सादाबाद जनपद हाथरस।
- 2—अरुण उर्फ काका निवासी कुमरई थाना सादाबाद जनपद हाथरस।
- 3—धर्मेन्द्र निवासी बिसावर थाना सादाबाद जनपद हाथरस।
- 4—अशोक निवासी नीति निवास थाना सादाबाद जनपद हाथरस।
- 5—रणजीत निवासी बिसावर थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

## बरामदगी

1—चोरी की 08 दो पहिया वाहन।

2—02 मोबाइल फोन।

➤ जनपद गोण्डा/थाना वजीरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 60—60 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5छः/6 पॉक्सो एकट व 3(2)5 एससी/एसटी एकट के अन्तर्गत अभियुक्त 1—दुर्गेश उर्फ बाण्ठे 2—रामआसरे उर्फ सराऊ पाल को सश्रम आजीवन कारावास व 60—60 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।



दिनांक 24.01.2026

प्रेस विज्ञप्ति 55 / 2026

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## जनपद सम्बल में पुलिस थानों में मातृत्व एवं शिशु देखभाल कक्षों का उद्घाटन व 15 महिला पुलिसकर्मियों को होंडा एकिटवा का वितरण कार्यक्रम। 15

मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से दिये गये निर्देशों के क्रम में **पुलिस महानिदेशक उ 0प्र0श्री राजीव कृष्ण** के मार्गदर्शन में जनपद सम्बल में पुलिस थानों में 15मातृत्व एवं शिशु देखभाल कक्षों का उद्घाटन व महिला पुलिसकर्मियों को होंडा एकिटवा का वितरण कार्यक्रम 15 आयोजित किया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उत्तर प्रदेश श्री अमिताभ यश द्वारा आज दिनांक: 24-01-206 को उक्त कार्यक्रम का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम एडीजी बरेली जोन श्री रमित शर्मा, डीआईजी मुरादाबाद श्री मुनिराज गोबू, पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार बिश्वोई, अपर पुलिस अधीक्षक सुश्री अनुकृति शर्मा (दक्षिण), टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड एवं राउंड टेबल इंडिया के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। टाटा एआईजी एवं राउंड टेबल इंडिया के प्रतिनिधि विशेष रूप से मुंबई एवं दिल्ली से कार्यक्रम में शामिल हुए।

कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार बिश्वोई के स्वागत उद्घोषण से हुआ। इसके पश्चात डीआईजी मुरादाबाद श्री मुनिराज गोबू ने अपने संबोधन में विस्तार से बताया कि किस प्रकार संभल पुलिस द्वारा उजागर की गई संगठित बीमा धोखाधड़ी की जांच ने बीमा कंपनियों को सामाजिक उत्तरदायित्व )CSR) के माध्यम से इस नवीन एवं मानवीय पहल से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

इसके उपरांत श्री देवांग पांड्या, वाइस प्रेसिडेंट एवं लीड -CSR एवं स्टेनेबिलिटी, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड तथा श्री पारस मेहरोत्रा, नेशनल प्रोजेक्ट्स कोकोन्वीनर-, राउंड टेबल इंडिया ने अपने संबोधन में दोनों संस्थाओं के मूल्यों, मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं संभल जनपद में इस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी।

तत्पश्चात एडीजी बरेली जोन श्री रमित शर्मा ने अपने संबोधन में इस पहल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार और उद्योग जगत के बीच इस प्रकार का सहयोग महिला सशक्तिकरण एवं संवेदनशील प्रशासन की दिशा में एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता है।

कार्यक्रम के दौरान इस पहल की सामाजिक एवं संस्थागत महत्वा को दर्शाती एक दो मिनट की लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। इसके पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था श्री अमिताभ यश द्वारा मातृत्व एवं शिशु देखभाल कक्षों का डिजिटल उद्घाटन किया गया।

अपने संबोधन में एडीजी कानून एवं व्यवस्था श्री अमिताभ यश ने संभल पुलिस की पेशेवर, गहन एवं परिणाम आधिरित जांच की सराहना की, जिसके माध्यम से न केवल संगठित बीमा धोखाधड़ी पर प्रभावी अंकुश लगाया गया, बल्कि इसके सकारात्मक प्रतिफल के रूप में महिला पुलिसकर्मियों के लिए क्रेच एवं दोपहिया वाहन जैसी कल्याणकारी सुविधाएं भी साकार हुईं। उन्होंने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और इस प्रकार की पहल उन्हें पेशेवर दायित्वों एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों के संतुलन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि यह उद्योग जगत एवं पुलिस के समन्वय का उत्कृष्ट उदहारण है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि कैसे इस

पहल को प्रदेश स्तर पर अपर्स्केल किया जा सकता है। इस पूरे कार्यक्रम से सभी राज्यों की पुलिस को प्रेरण लेनी चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी उद्योग जगत सामाजिक विकास एवं महिला सशक्तिकरण के लिए इसी प्रकार सहयोग करता रहेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्ष में संभल पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय 2025, बहुकरोड़ संगठित बीमा - धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया, जो पिछले एक दशक से अधिक समय से से अधिक 12 राज्यों में सक्रिय था। इस नेटवर्क द्वारा गंभीर रूप से बीमार एवं मृत व्यक्तियों का फर्जी बीमा कराकर बीमा दावा राशि का गबन किया जाता था। जांच में बीमा राशि के लिए लक्षित हत्याओं, फर्जी दुर्घटनाओं, आधार डाटाबेस में अवैध परिवर्तन तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री सङ्क दुर्घटना बीमा योजना जैसी सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का भी खुलासा हुआ। इस प्रकरण में से अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। 70 से अधिक एफआईआर दर्ज कर 25

इसी क्रम में दिनांक को संभल पुलिस द्वारा बीमा क्षेत्र के सभी हितधारकों का एक 2025 जून 30 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वित्त मंत्रालय, आईआईबी, आईआरडीएआई, बीमा 45 कंपनियां, अकादमिक संस्थान एवं जांच एजेंसियों ने सहभागिता की। सम्मेलन में संस्थागत एवं कानूनी सुधारों का रोडमैप प्रस्तुत किया गया।

हाल ही में तीन प्रमुख अभियुक्तों की अपराध से अर्जित 11.करोड़ रुपये मूल्य की अवैध 89 संपत्तियां उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त की गई हैं।

इस जांच का एक अत्यंत सकारात्मक परिणाम यह रहा कि बीमा कंपनियों द्वारा पुलिस कल्याण, विशेषकर महिला पुलिसकर्मियों के कल्याण हेतु सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत सहयोग की रुचि दिखाई गई। इसी क्रम में टाटा एआईजी द्वारा राउंड टेबल इंडिया के सहयोग से जनपद के प्रत्येक पुलिस थाने में मातृत्व एवं शिशु देखभाल कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इन कक्षों में शिशुओं के लिए पलंग एवं पालना, खिलौने, शैक्षिक खेल, स्टेशनरी, रंग, कुर्सियां, गद्दे तथा माताओं के लिए पृथक फीडिंग कक्ष की समुचित व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल द्वारा 5 एवं इंडिया फर्स्ट द्वारा 10, कुल होंडा 15 महिला पुलिसकर्मियों के लिए प्रदान की गई हैं। ये दोनों ही पहल (प्रत्येक थाने हेतु एक) एकिटवा स्कूटी उत्तर प्रदेश सरकार की Mission Shakti के उद्देश्यों के अनुरूप हैं और राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा को दर्शाती हैं।

कार्यक्रम का समापन अपर पुलिस अधीक्षक सुश्री अनुकृति शर्मा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के (दक्षिण) साथ हुआ। उन्होंने सभी अतिथियों, सहयोगी संस्थाओं, रिजर्व इंस्पेक्टर संभल एवं उनकी टीम को कार्यक्रम के त्रुटिरहित आयोजन हेतु आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी बताया कि संभल उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा जनपद बन गया है, जहाँ प्रत्येक पुलिस थाने में मातृत्व एवं शिशु देखभाल कक्ष तथा महिला पुलिसकर्मियों के लिए दोपहिया वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।

जनपद के सभी पुलिस थानों ने कार्यक्रम में ऑनलाइन सहभागिता की। वहीं ऑफलाइन रूप से प्रत्येक थाने में संबंधित सर्किल अधिकारियों द्वारा फीता काटकर मातृत्व एवं शिशु देखभाल कक्षों का उद्घाटन किया गया और इन्हें बच्चों के उपयोग हेतु विधिवत प्रारंभ किया गया।

-----